डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-316 **New Delhi: 17.05.2021**

श्री रमाकांत शुक्ला
पुत्र स्वर्गीय श्याम सुन्दर
ग्राम-परजनी, पोस्ट - बान,
परगना – डेरापुर,
जिला - कानपुर देहात,
मोबाइल-7398443079
(उ० प्र०)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 22.04.2021, जो इस कार्यालय में दिनांक 10.05.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 15 पृष्ठ

17/5/2021
(एस. के. राय)
उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
011-23454707

प्रतिलिपि - मुख्य महाप्रबंधक/DFCCIL/उ.प्र. - सूचनार्थ

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

पत्रांकः CNB/EN/CA (iii)/152(A)/Y-21/M-05(13) दिनांकः—13.05.2021

सेवा में,

महाप्रबन्धक समन्वय,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (आगरा)

विषयः—सूचना अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत श्री रमाकान्त पुत्र श्यामसुन्दर निवासी ग्राम परजनी, तहसील—डेरापुर, जिला—कानपुर देहात द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— Dy. GM/Admn./Pio डी0एफ0सी0सी0, नई दिल्ली का पत्र सं0 2021/HQ/ADMIN/RTI-316 दिनांक 10.05.2021,

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। Dy. GM/Admn./Pio डी0एफ0सी0सी0, नई दिल्ली का पत्र सं0 पत्र सं0—2021/HQ/ADMIN/RTI-316 दिनांक-10.05.2021 के संलग्नक के रूप में श्री रमाकान्त पुत्र श्यामसुन्दर ग्राम—परजनी, तहसील—डेरापुर, जिला—कानपुर देहात आपत्ति दिनांक—22.04.2021 जो जन सूचना अधिकारी, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, कानपुर को सम्बोधित है। इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एच0आर0/टुण्डला की ई—मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं। जिसका बिन्दुवार उत्तर निम्न प्रकार है:—

1. कार्यालय- जिलाधिकारी, कानपुर देहात के पत्र संख्या-2247/डीएलआरसी—का0दे0—DFCCIL/2021 दिनांक 13अप्रैल, 2021 (संलग्न) द्वारा जारी किये गये निर्देशो के अनुपालन हेतु डीएफसीसीआईएल, कानपुर के पत्र सं0—CNB/EN/KD/(Grievance Reply) दिनांक 23.04.2021 (संलग्न) द्वारा दिशा निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दिशा निर्देश प्राप्त होते ही तदानुसार कार्यवाही की जानी है।

2. डीएफसीसीआईएल द्वारा अपनी भूमि की सीमा पर भी रेल लाईन बनाई जा सकती है। रेल लाईन के बाहर कितनी रिक्त भूमि रखी जायें सक्षम स्तर से ऐसे कोई दिशा—निर्देश प्राप्त नही है।

3. शासना देश उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग—1 सं0—79/एक—1—2012—5(2)/2012 लखनऊ दिनांक 31मई, 2012 (संलग्न) में अधिसूचित नाली एंव नाला आदि से सम्बन्धित गाटों की भूमि के सापेक्ष राजस्व विभाग द्वारा मूल्यांकित धनराशि राजकोश में नियमानुसार दिनांक 12.11.2011 को जमा करायी जा चुकी है। उक्त गाटों से सम्बन्धित भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था के कोई भी निर्देश अधिसूचना द्वारा जारी नही किये गये है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्तानुसार।

उप परियोजना प्रबन्धक (ईजी0)
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0/कानपुर।
13/05/2021

प्रतिलिपिः—उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एचआर/टुण्डला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Office Of Dy. Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail – bsjaryal@dfcc.co.in, ***Website*** www.dfccil.gov.in

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

पत्रांक: CNB/EN/CA (iii)/152(A)/Y-20/M-01(21)   दिनांक:– 29.01.2020

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक ,
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
टुण्डला (आगरा)

विषय:– श्री रमाकान्त पुत्र श्री श्यामसुन्दर, ग्राम–परजनी तहसील–डेरापुर, जनपद–कानपुर देहात का शिकायती पत्र दिनांक 11.12.2019 डी०एफ०सी०सी० द्वारा रेलवे ट्रैक का कार्य मानक के विरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:–1 महाप्रबंधक / एल.ए. एवं मेमू / ई.सी. का पत्र सं०–HQ/PG/1DL/1/2020, दिनांक–22.01.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र तथा उसके संलग्नकों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

श्री रमाकान्त पुत्र श्री श्यामसुन्दर, ग्राम–परजनी तहसील–डेरापुर जनपद–कानपुर देहात का शिकायती पत्र, का दिनांक 11.12.2019, जो रेलमंत्री को सम्बोधित है, इस कार्यालय में सन्दर्भित पत्र(संलग्नक सहित) आपके कार्यालय से ई–मेल के माध्यम प्राप्त हुआ है। जिसमें डी०एफ०सी०सी० द्वारा रेलवे ट्रैक का कार्य मानक के विरुद्ध किये जाने की शिकायत की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री रमाकान्त पुत्र स्व. श्यामसुन्दर का प्रकरण जिला शीवास रिड्रेसल कमेटी, कानपुर देहात के समक्ष विचाराधीन है। समिति के निर्णयोपरान्त यथासमय वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराया जायेगा।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

उप परियोजना प्रबन्धक / ई०डी०
डी०एफ०सी०सी०आई०एल० / कानपुर।
29/01/2020

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail – bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

पत्रांक सं0– CNB/EN/KD (Grievance Reply) दिनांक–23.04.2021

सेवा में,

महा प्रबन्धक / समन्वय
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
टुण्डला।

विषय:– श्री रमाकान्त शुक्ला पुत्र श्याम सुन्दर शुक्ला के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– *1. कार्यालय जिलाधिकारी का0दे0 का पत्र सं0 2247 दिनांक– 13.04.2021 |(सलंग्न)*
2. आपका पत्र दिनांक– 06.04.2021 |(सलंग्न)
3. कार्यालय जिलाधिकारी का0दे0 का पत्र सं0 2238 दिनांक– 05.04.2021(सलंग्न)
4. कार्यालय जिलाधिकारी का0दे0 का पत्र सं0 1249 दिनांक– 31.03.2021(सलंग्न)
5. डी.एफ.सी.सी.आई.एल. का पत्र दिनांक– 12.02.2020 |(सलंग्न)
6. स्थलीय जाँच आख्या दिनांक– 12.02.2020 |(सलंग्न)
7. आन्तरिक नोट दिनांक– 06.02.2020 |(सलंग्न)
8. डी.एफ.सी.सी.आई.एल. के मुख्यालय का पत्र दिनांक– 18.04.2018 |(सलंग्न)
9. डी.एफ.सी.सी.आई.एल. के मुख्यालय का पत्र दिनांक– 26.09.2014 |(सलंग्न)
10.स्थलीय जाँच आख्या दिनांक– 30.07.2014 |(सलंग्न)

महोदय,

कृपया विषयगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपत्तिकर्ता श्री रमाकान्त शुक्ला पुत्र श्याम सुन्दर शुक्ला वर्ष 2014 से ही अपनी विभिन्न मांगों के सापेक्ष निरन्तर पत्राचार करता आ रहा है, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय का0दे0 द्वारा उक्त प्रकरण को निस्तारण हेतु ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी जनपद– कानपुर देहात को स्थानातरित कर दिया गया था। उक्त कमेटी के दिशा निर्देशों के अनुसार डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा सन्दर्भित पत्र 6 प्रेषित कर आपत्तिकर्ता के साथ की गई स्थलीय जॉच आख्या दिनांक– 12.02.2020 से सहमति व्यक्त की गई, तदोपरान्त अपर जिलाधिकारी / वि0रा0 का0 दे0 द्वारा सन्दर्भित पत्र 4 के द्वारा प्रकरण की समीक्षा हेतु मा0 जिलाधिकारी / का0 दे0 के समक्ष दिनांक 01.04.2021 को बैठक आहूत की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण के निस्तारण हेतु शीघ्र ही अपर जिलाधिकारी / प्रशासन का0दे0 ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की बैठक कर उचित आदेश निर्गत करेगें। तत् क्रम में अपर जिलाधिकारी / प्रशासन का0दे0 ने सन्दर्भित पत्र 3 के माध्यम से बैठक दिनांक 07.04.2021 आहूत की गई।

उक्त बैठक में सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण के निस्तारण हेतु सन्दर्भित पत्र 01 के माध्यम से विभिन्न निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त निर्देशों का शीघ्र ही अनुपालन कर मा0 जिलाधिकारी महोदय / का0दे0 को अवगत कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 अपर जिलाधिकारी / प्रशासन का0दे0 का पत्र सं0 2247 दिनांक– 13.04.2021 (सन्दर्भित पत्र 01) का में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन हेतु उचित दिशा निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

सलंग्नक– यथोपरि

उप परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल
कानपुर।
मो0 7060803032
23-04-2021

प्रतिलिपि:– मा0 अपर जिलाधिकारी / प्रशासन का0दे0 को सादर सूचनार्थ।

उप परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल
कानपुर।
मो0 7060803032

Office Of Dy. Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208005
E mail bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.com

(167)

महत्वपूर्ण / आवश्यक

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

संख्या- 2747 / डीएलआरसी-का0दे0- DFCCIL / 2021, दिनांक 13 अप्रैल, 2021

विषय : ग्रीवान्स रिड्रेसल कमेटी की बैठक दिनांक 07.04.2021 में श्री रमाकान्त शुक्ला द्वारा उठायी गई समस्याओं का निराकरण कराकर कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
177 / एच-2 / 180 ब्लाक, पाण्डु नगर,
कानपुर।

कृपया उपर्युक्त विषयक ग्रीवान्स रिड्रेसल कमेटी की बैठक दिनांक 07.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त बैठक में श्री रमाकान्त शुक्ला पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर, निवासी ग्राम परजनी, तहसील डेरापुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2021 में इंगित समस्याओं जैसे- डीएफसीसीआईएल के परियोजना प्रबंधक एवं उनके ठेकेदार टाटा एल्डिसा द्वारा नष्ट किये गये बरसाती नाला, सिचाई नाला के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कराने व शिकायतकर्ता के खेतों के दक्षिण-पश्चिम में 8-10फीट गहरे कुँए की शक्ल में हुये अवैध खनन को भराकर उक्त समस्या का निराकरण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

विदित हो कि पूर्व में आप द्वारा ग्रीवान्स रिड्रेसल कमेटी की बैठक दिनांक 05.02.2020 के कम में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित अपने कार्यालय पत्र दिनांक 12.02.2020 में जॉचोपरान्त शिकायतकर्ता श्री रमाकान्त शुक्ला की शिकायत को सही पाते हुए, उक्त पत्र में अंकित बिंदु सं0 2 व 3 में यह स्वीकार किया गया कि श्री रमाकान्त के खेत में 8-10फीट गहरे कुँए की शक्ल में गलत ढंग से खनन किया गया तथा बरसाती पानी निकासी का कोई उचित प्रबन्ध नही किया गया। तद्नुसार प्रश्नगत प्रकरण को निस्तारित कराये जाने के संबंध में आश्वस्त किया गया था। परन्तु एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आप द्वारा श्री रमाकान्त शुक्ला के प्रकरण में कोई ठोस कार्यवाही नही की गई है, जो अत्यन्त खेदजनक है। पुनश्च दिनांक 07.04.2021 को सम्पन्न ग्रीवान्स रिड्रेसल कमेटी की बैठक में आपके प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया कि श्री रमाकान्त व अन्य के खेत से 8-10फीट गहराई में खुदाई की गई, जिसकी लेवलिंग कराये जाने के अतिरिक्त वहाँ पर बरसाती जल निकासी हेतु पाईपलाईन डालने की आवश्यकता है।"

तत्कम में श्री रमाकान्त शुक्ला के शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांक 18.03.2021 के साथ ही अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त शिकायतकर्तागण श्री मदनलाल आदि के प्रार्थनापत्र की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों यथा डीएफसीसीआईएल के परियोजना प्रबंधक एवं उनके ठेकेदार टाटा एल्डिसा द्वारा नष्ट किये गये बरसाती नाला, सिचाई नाला के स्थान पर बरसाती पानी की निकासी हेतु पाईपलाईन डालकर एवं श्री रमाकान्त शुक्ला व अन्य शिकायतकर्तागण के खेतों में 8-10फीट गहरे कुँए की शक्ल में हुये खनन की तत्काल भराई / लेवलिंग कराकर, कृत कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(पंकज वर्मा)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),
कानपुर देहात।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),
कानपुर देहात।

Received
on 20/4/2021

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

NO. TDL/EN/Grievance/245(A) **Dated: 06.04.2021**

Shri D.C. Champia
Dy. Project Manager
DFCCIL,
Kanpur

Subject:- Regarding providing of reply to the grievance received to this office.

Reference:

I. Representation of Shri Ramakant Shukla S/o S.S. Shukla dtd. 03.04.2021.

1) Vide reference-I, this office has received the grievance of Shri Ramakant Shukla S/o S.S. Shukla of village-Parjani, Tehsil-Derapur, District Kanpur Dehat. Copy of the same is enclosed for your reference.

2) In view of the above, it is advised to enquire the representation under reference-I and submit the report within 3 official working days positively.

Encl: As above.

07/4/21

(Sandesh Shrivastava)
General Manager/Coord.
DFCCIL/Tundla

Office Of Chief Project Manager:- 3/20, 3rd Floor, KPS Tower,
Mayur Complex, Nagla Padi, Agra-282002
Telefax: 0562-2850325-225, E mail: cgmtundla@dfcc.co.in , Website www.dfccil.gov.in

000031

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग--1
संख्या– [illegible] / एक--1--2012--5(2) / 2012
लखनऊ :: दिनांक :: 31 म[illegible], 201[illegible]

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनि[यम] संख्या--1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके शासनादेश संख्या–प्र0स0 474 / एक--1 / 2008--5--1(48) / 2008--78, दिनांक 19.12.2008 में [दिये] गये निर्देशों / शर्तों के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या--6[8] तीन--2(6) / 1979--राजस्व--1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्य[पाल] महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख[्या] 68 / 3--2(6) / 1979--रा--1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा अनुसूची के स्तम्भ--5 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित की गयी थी, पुनर्ग्रहण करते हुए [रेल] विभाग, भारत सरकार को इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के तहत विशेष रेल परियोजना [हेतु] भूमि उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हैं।

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	रकबा (हे0)	विवरण प्रयोज[न]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रमाबाई नगर	अकबरपुर	अकबरपुर	आँट	186	0.0100	लोक [illegible] विभाग, प्रदेश शा[illegible] निर्व[illegible] भारत [illegible] को डेडीकेटेड कॉरीडोर परियोजन[illegible]
2					242	0.0050	
3					295	0.0050	
4					[illegible]	[illegible]	
5					670	0.0050	
6					538	0.0100	
7					512	0.0310	
8					500	0.0080	
9					519	0.0100	
10					531	0.0100	
11					15	0.0100	
12					21	0.0310	
13					246	0.0080	
14					248	0.0150	
15					152	0.0100	
16					675	0.0410	

क्रम

(138)

000030

					[illegible]	0.0100
17					605	0.0510
18					78 क	0.0110
19					16 ड	0.0720
20					16/1003	0.0250
21					525/1002	0.0100
22					282	0.0270
23				रैपालपुर	509	0.0050
24					475	0.0150
25					360	0.0150
26					1168	0.0030
27					1149	0.0100
28					1291	0.0050
29					1300	0.1230
30					457	0.1740
31					488	0.0100
32					297	0.1460
33					295	0.0510
34					1155	0.0410
35					1163	0.0610
36					1159	0.1390
37					1180	0.0510
38					1183	0.0150
39					1184	0.3000
40					1154	0.0200
41					1161	0.0050
42					1250	0.0050
43					1256	0.0180
44					1265	0.0200
45					510	0.0030
46					481	0.0310
47					1091ख	0.0610
48					292	0.0120
49					484	0.0250
50					1258	0.0030
51					1192	0.0750
52					1292 ख	0.0480
53						

क्र

					1296 ङ	0.0050	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
55					299	0.0025	
56				अलियापुर	251	0.0920	
57					243	0.0100	
58					345	0.0020	
59					335 क	0.0610	
60					284 क	0.0820	
61					269/543	0.0210	
62					276	0.0050	
63				भाऊपुर	141	0.0100	
64				सिंहपुर दिवनी	195	0.1740	
65					82	0.0030	
66					92	0.0015	
67					111	0.0015	
68					145	0.0015	
69					156	0.0050	
70					163	0.0020	
71					192	0.0920	
72					155	0.0015	
73					164	0.0015	
74					93	0.0020	
75				भीखर	436	0.0410	
76					474	0.0460	
[illegible]				सबलपुर बिठूर	154	0.0060	
78					165	0.0150	
79					164	0.0070	
80				चन्दवल किशुनपुर	276	0.0770	
81				कैरानी	60	0.0060	
82					61	0.0870	
83				मड़ौली	1462	0.1650	
84					1493	0.0100	
85					1494	0.7280	
86					1511	0.0020	
87					1520	0.0020	
88					1547	0.0030	
89					1570	0.0050	
90							

क्रमशः

(136)

00002ε

92				अरौनी	313	0.0280	
93					312	0.0510	
94					251	0.0608	
95					238	0.0190	
96					106	0.0280	
97				इकघरा	438 ख	0.0216	
98				गैजूमऊ	344	0.0100	
99					363	0.0460	
100					374	0.0050	
101					371	0.0100	
102					380	0.0020	
103					352	0.0020	
104					368	0.0130	
105				जगदीशपुर	74	0.0230	
106					90	0.3180	
107					92	0.1540	
108					52	0.0050	
109					68	0.0200	
110					53	0.0016	
111					21	0.5000	
112					77	0.0050	
113				रोशनमऊ	96	0.0010	
114					94	0.0010	
115					71	0.0720	
116					79	0.0390	
117				रूरा	948	0.0540	
118					1087	0.6660	
119					1112	0.5360	
120				सराया	526	0.1020	
121					604ग	0.0180	
122					650	0.0050	
123					637	.0.0050	
124					705	0.0050	
125				पिटरापुर	49	0.0610	
126					77	0.0200	
127					87	0.0310	

(135)

000027

				110	0.0310
[illegible]				200	0.0190
131				201	0.0310
132				206	0.0100
[illegible]			खरगपुर चिट्ठर	261	0.0460
134				265	0.0920
[illegible]				259	0.0100
[illegible]				187	0.0050
[illegible]				186	0.0100
[illegible]				171	0.0610
139				165	0.0150
[illegible]				47	0.1540
141	डेरापुर	डेरापुर	अमौली ठकुरान	1202	0.0020
[illegible]				1219 ख	0.1840
[illegible]			अखियापुर	178	0.0510
144				164	0.0150
[illegible]				174	0.1170
[illegible]				291	0.0150
[illegible]				233	0.0040
[illegible]				143	0.0600
[illegible]			बान खास	1700	0.1540
150				1706	0.0010
161				1713	0.4710
[illegible]				83	0.0400
[illegible]				95	0.0140
[illegible]				150	0.0150
[illegible]				148	0.0020
[illegible]				1720	0.0050
[illegible]				149	0.0050
[illegible]				157	0.0050
[illegible]			बड़ागांव सुल्तान कयूम	196	0.0100
163			इन्जुआरामपुर	83	0.0510
164				132	0.0880
[illegible]				133	0.0140
[illegible]				184	0.0100

क्रमशः

(134)

000026

164						92	0.0050	
165						183	0.0060	
166					कमालपुर	23	0.0640	
167						29	0.0050	
168						40	0.1400	
169						36	0.0050	
170					खम्हैला	2065	0.2420	
171						1941	0.0200	
172						1937	0.3070	
173						1938	0.3590	
174						1934	0.1020	
175						1509	0.1020	
176						1549	0.0020	
177						1560	0.0070	
178						1827	0.0020	
179						1555/2753	0.0020	
180						1925	0.0030	
181						2065/2779	0.1020	
182						1953	0.0140	
183						1543	0.0020	
184					खांनपुर चैन	122	0.0040	
185						106	0.0080	
186						66	0.0120	
187						61	0:0180	
188						41	0.0060	
189					ममोरीपुर	193	0.0040	
190					मुंडेरा विक्रम सिंह	568ख	0.0520	
191					नासर खेड़ा	302	0.1620	
192						286	0.0020	
193						282	0.0530	
194						280	0.0540	
195						291	0.0100	
196						299	0.0100	
197					परजनी	626	0.0100 ✓	
198						623	0.0510 ✓	
199						557	0.0050 ✓	
200						520	0.0130 ✓	

क्रमशः--

(133)

000025

201					526	0.0200	
203					552	0.0040	
204					558	0.0660	
205				रानेपुर रसूलाबाद	709 मि	0.0510	
206					699	0.0040	
207					678	0.0050	
208					662	0.0040	
209					656	0.5080	
210					695	0.0050	
211					787	0.0180	
212					785	0.0280	
213				शाहपुर डेरापुर	604	0.1410	
214					602	0.0150	
215					546	0.0050	
216					626ख	0.0120	
217					626ग	0.0450	
218				तुरना	464	0.0060	
219				झींझक	70च	0.3480	
220					200	0.0060	
				कुल योग	कुल 220 गाटा	12.1550 है0	

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 79 (1)/एक–1–2012–5(2)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रमाबाईनगर को उनके पत्र संख्या–1578/डी0एल0आर0सी रा0मा0न0–पुनर्ग्रहण/2011, दिनांक 30 दिसम्बर 2011 के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रे कि वह इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट्ट पर तहसील भवन त संबंधित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्रमशः–

000024 (132)

2. यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16\ दिनांक 9 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि कुल रकबा 12.1550 हे0 प्रचलित बाजार दर पर ऑकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा- 14-9-2004 के अनुसार उक्त भूमि की [illegible] मूल्य की धनराशि लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्ति मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना [illegible] प्रति लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन तथा राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन को उपलब्ध व सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वांछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात ही भूमि का कब्जा विभाग, भारत सरकार को दिया जाय। प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन निवर्तन पर रखी जायेगी।

3 शासनादेश संख्या-915/एक-1-2006-रा0-1, दिनांक 06 जून, 2006 द्वारा ताला पोखर/घोला आदि के पुनर्ग्रहण न करने के निर्देश दिये गये हैं। इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारी के तहत विशेष रेल परियोजना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तालाब, रिन्ध नदी नदी की भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि रेलवे वि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप नदी के प्राकृतिक स्वरूप में व परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भाँति तालाब एवं नदी का स्वरूप एवं जल संचयन की क्ष बनाये रखेंगे और उसे अपने व्यय पर खुदाई कराकर उसे और गहरा करायेंगे। रेलवे विभाग स के व्यय पर तालाब एवं नदी पर ड्रेन/पुल/पुलिया का निर्माण कराते हुए नैसर्गिक जल प्र को यथावत बनाये रखना भी सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा- रास चकरोड, चकमार्ग, नाली, नाला, सड़क खाम, मुख्य मार्ग की भूमि के पुनर्ग्रहण के उपरा ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेगा तथा नाला एवं नाली के माध्यम से हो रहे यथा पानी के बहाव तथा सिचाई की व्यवस्था में व्यवधान भी उत्पन्न नही किया जायेगा।

4. प्रस्तर-1 में उल्लिखित क्रमांक-07, 33, 34, 36, 37, 40, 52, 64, 80, 109, 145, 16 170, 173, 174, 181, 201, 205 तथा 212 पर चिन्हित स्थल जो क्रमशः हड़वार, कब्रिस्ता खलिहान, प्राइमरी स्कूल, कुम्हार की मिट्टी, खलिहान, खलिहान, आबादी, चकरोड-हड़वा हड़वार, आबादी, आबादी, खलिहान, खलिहान, खलिहान, शमशान, खाद का गड्ढा, जूनिय हाईस्कूल भवन, ,खलिहान तथा खाद के गड्ढे निकालने का स्थान [illegible] भूमि पुनर्ग्रहण यदि अति आवश्यक हो तो उक्त हेतु वैकल्पिक व्यवस्था कराने के उपरान्त किया ज सकेगा। शासनादेश संख्या-963/एक-1-2004-1-1(10)/2002-15-रा0-1, दिनांक 30.6.200 के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपाल जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

5. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0 474/एक-1-2008-5-1(48)/2008-78 दिनांक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाएगा तथा निर्धारि प्रारूप पर यथानिर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध करायी जाए।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः----9

संख्या– 79 (2)/एक–1–2012–[illegible]

[illegible] निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन।
2– आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– मुख्य परियोजना प्रबंधक, इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया कानपुर।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
30/5/12
(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2
प्रपत्र संख्या–43ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए) कोषागार प्रपत्र–209(1)

000011

(18) (130)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

1. उस कोषागार/बैंक का नाम व स्थान	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, माती	जनपद–रमाबाई नगर, तहसील–डेरापुर
2. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, कानपुर।	
3. पता–	117/180, एच–2, पाण्डु नगर, कानपुर–208005 ।	
4. पंजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	लागू नहीं।	
जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)	विशेष रेल परियोजना, पूर्वी समर्पित मालमाला कोरीडोर के अन्तर्गत जिला–रमाबाई नगर में पुनर्ग्रहीत भूमि के पूंजीकृत मूल्य की धनराशि क्रमशः ग्राम–	

(1) [illegible] ठकुरान–आरक्षित ₹ 102645/–, अमौली ठकुरान–अनारक्षित ₹ 0.00/–, (2) अम्बियापुर–आरक्षित ₹ 195295/–, अम्बियापुर–अनारक्षित ₹ [illegible]/–, (3) बान आरक्षित ₹ 536750/–, बान–अनारक्षित ₹ 360831/–, (4) बढ़ागाँव गुलाम रसूल–आरक्षित ₹ 5518/–, बढ़ागाँव गुलाम रसूल–अनारक्षित ₹ 220179/–, (5) इन्दुआरामपुर–आरक्षित ₹ 129581/–,इन्दुआरामपुर–अनारक्षित ₹ 0.00/–, (6) कमालपुर–आरक्षित ₹ 119232/–, कमालपुर–अनारक्षित ₹ 22817/–, (7) खन्हैला–आरक्षित ₹ 941204/–, खन्हैला–अनारक्षित ₹ 469887/–, (8) खानपुर चैन–आरक्षित ₹ 71893/–, खानपुर चैन–अनारक्षित ₹ 13472/–, (9) मगोरीपुर–आरक्षित ₹ 2215/–, मगोरीपुर–अनारक्षित ₹ 0.00/–, (10) मुंडेरा विक्रम सिंह–आरक्षित ₹ 28576/–, मुंडेरा विक्रम सिंह–अनारक्षित ₹ 68251/–, (11) नासर खेड़ा–आरक्षित ₹ 161442/–;नासर खेड़ा–अनारक्षित ₹ 36791/–, (12) परजनी–आरक्षित ₹ 144169/–, परजनी–अनारक्षित ₹ 0.00/–, (13) रानेपुर रसूलाबाद–आरक्षित ₹ 464076/–, रानेपुर रसूलाबाद–अनारक्षित ₹ 64913/–, (14) शाहपुर डेरापुर–आरक्षित ₹ 121439/–, शाहपुर डेरापुर–अनारक्षित ₹ 70636/–, (15) पुरना–आरक्षित ₹ 4458/–, पुरना–अनारक्षित ₹ 0.00/–, (16) झींझक–आरक्षित ₹ 283051/–, झींझक–अनारक्षित ₹ 37926/–, (17) अलावलपुर–आरक्षित ₹ 0.00/–, अलावलपुर–अनारक्षित ₹ 65428/–

में अधिग्रहीत भूमि के पूंजीकृत मूल्य की धनराशि क्रमशः कुल 17 ग्राम कुल धनराशि–₹ 4981286/– जो राजस्व विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।

5. चालान की सकल धनराशि	₹ 4981286/–
6. चालान की निबल धनराशि	₹ 4981286/–
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर	0029–भू–राजस्व–00–800–अन्य प्राप्तियां–08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियां

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि अंको में
0 0 2 9	0 0	8 0 0	0 8	0 6	₹ 4981286/–

पेण्ड रसीद 60571

धनराशि (शब्दों में) ₹ उन्चास लाख इक्यासी हजार दो सौ छियासी मात्र

योग ₹ 4981286/–

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
Rajesh Agrawal

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

अंको में रु0

6m–125510
चालान संख्या
शब्दों में रु0
प्राप्त किया।
दिनांक 12-11-11

TRANSFER
Branch Manager
12 NOV 2011